कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, चूरू सम्भाग, चूरू

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 25 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसानुसार निम्नांकित अध्यापक को वरिष्ठ अध्यापक **हिन्दी** के पद पर पे बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे 4200 में वर्ष 2012–13 की पूर्व डीपीसी के पुनरावलोकन के कारण संबंधित वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध चयनित किये जाने के फलस्वरूप पदोन्नति पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में पदस्थापन किया जाता है।

इन्हें राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 तथा एफ–7(1)कार्मिक /के–2/45 पार्ट–2 दिनांक 20.11.2015 के अनुसार संबंधित कार्मिक से दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान न होने का शपथ पत्र 50 रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अवश्य प्राप्त किया जावें। एवं उपर्युक्त चयनित कार्मिक निर्धारित योग्यता (संबंधित विषय में स्नातक एव बीएड) नहीं होने पर पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे।

यदि कार्मिक के विरूद्ध विभागीय जांच चल रही हो /निलम्बन हो /न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावें एवं संबंधित नियन्त्रण अधिकारी रजिस्टर्ड डाक से इस कार्यालय में सूचना दें।

इन सभी कार्मिकों को पदोन्नति स्थान पर **दिनांक 07.11.17 तक** कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर पदौन्नति का परित्याग माना जावेगा। सम्बन्धित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि पदौन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदौन्नति ग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदौन्नत कार्मिक पदौन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदौन्नति परित्याग का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक **15.11.2017** तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में पदौन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें अन्यथा संबंधित संस्था प्रधान जिम्मेदार होगा।

क्र. स.	मण्डल व.क्र एवं वर्ष	नाम अध्यापक मय पिता/पति का नाम एवं कार्यरत स्थान	जन्मतिथि	जाति वर्ग	पदौन्नति पर पदस्थापन स्थान
01	5447/ 98–09	रणजीतसिंह/रामेश्वरलाल मीणा राउमावि सहनूसर, सीकर	01.01.78	ST	रा.मा.वि दांदू, चूरू

संबंधित संस्था प्रधान इनकी कार्यमुक्ति /कार्यग्रहण की सूचना एवं अयोग्य /अपात्र कार्मिकों की सूचना तत्काल रजिस्टर्ड डाक से इस कार्यालय एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करें।

(डॉ. महेन्द्र कुमार)
उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, चूरू

क्रमांकः उनिशि/माध्य/चूरू/संस्था–ब/12–13/हिन्दी/17 दिनांक 27.10.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. श्रीमान विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतत्र प्रभार) महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान–सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक /प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर।
4. श्रीमान सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक– चूरू/झुंझुन/सीकर।
6. संबंधित संस्था प्रधान.. को प्रेषित कर लेख है कि यदि पदौन्नत कार्मिक लिखित में पदौन्नति का परित्याग नहीं देता है तो अनिवार्यतः कार्यमुक्त करें अन्यथा संबंधित संस्था प्रधान के विरूद्व कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
7. संबंधित कार्मिक..
8. वरिष्ठता अनुभाग स्थानीय कार्यालय।
9. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. महेन्द्र कुमार)
उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, चूरू